संख्या: 673/2023/1542/35-4-2023/35-4099/515/2021

प्रेषक,

डा0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक: 13 जून, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद- गोण्डा में शासनादेश संख्या-615/2021/2629/35-4-2021, दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 01 कार्य की अनुमोदित लागत रू0 1154.13 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख की धनराशि; शासनादेश संख्या-206/2022/693/35-4-2022/001-35-4099/515/2021, दिनांक 05 जुलाई, 2022 के माध्यम से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 238.53 लाख की धनराशि तथा शासनादेश संख्या- 59/2023/53/35-4-2023/001-35-4099/515/2021, दिनांक 06 फरवरी, 2023 के माध्यम से तृतीय किश्त के रूप में रू0 288.53 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

2) आपके पत्र सं0-133/अर्थ एवं संख्या/त्व0आ0वि0/2021-22 दिनांक 23 मई, 2023 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित लागत रू0 1154.13 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि रू0 577.06 लाख का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। साथ ही अवशेष धनराशि को अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है |

3) इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में देय अवशेष धनराशि रू0 288.53 लाख (रूपये दो करोड़ अट्ठासी लाख तिरपन हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, गोण्डा के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व मे अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
तरबगंज अमदही बन्धा मार्ग से पराशर ऋषि सेवा आश्रम धार्मिक स्थल को जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	1154.13	577.06	288.53

1- सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 29 दिसम्बर, 2021; दिनांक 05 जुलाई, 2022 तथा दिनांक 06 फरवरी, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी |

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/ अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग- 4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4) इस संबंध में होने वाला व्यय रु0 2,88,53,000/- (रूपये दो करोड़ अट्ठासी लाख तिरपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 0303-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था, 24-वृहत् निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

5) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या/ तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
8- प्रमुखअभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोण्डा ।
11-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5 |
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी गोण्डा ।
13- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-1 लोक निर्माण विभाग, गोण्डा ।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**